

न्यायालय: पुंजिया बारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी, जिला

अशोकनगर (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक :- 340 / 2012

चालान प्रस्तुति दिनांक :- 29 / 08 / 2012

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,

चन्देरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

..... (अभियोगी)

..... विरुद्ध

श्यामा उर्फ श्यामलाल पुत्र जवाहरलाल घोसी,
उम्र-54 वर्ष, व्यवसाय-ड्रायवर, निवासी-मिडिल स्कूल
के पास घोसी मोहल्ला मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

..... (अभियुक्त)

राज्य द्वारा : श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।

अभियुक्त द्वारा : श्री अशोक कुमार जैन अधिवक्ता।

..... निर्णय

(आज दिनांक 10 / 01 / 2017 को घोषित)

अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 338 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन यह दोषारोप है कि, उसने दिनांक 19 / 07 / 2012 को शाम करीब 07:00 बजे म्यूजियम के पास मुंगावली रोड़ चन्देरी पर आपने बस क्रमांक एम.पी.08 पी. 0221 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर फरियादी हरिचरण को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित की।

02. अभियोजन प्रकरण में इस प्रकार है कि दिनांक 19 / 07 / 2012 को फरियादी हरिचरण ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चन्देरी पर इस आशय की देहाती नालिसी लेख करवाई है कि वह उसकी मोटरसायकल क्रमांक एम.पी.67 एम.3518 से फतेहाबाद से उसके घर ग्राम नानौन जा रहा था। वह मुंगावली रोड़ पर म्यूजियम के आगे पहुंचा कि सामने से एच.एम.टी. बस क्रमांक एम.पी. 08 पी.0221 का चालक बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसकी मोटरसायकल को टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गया। टक्कर लगने से उसे शरीर पर जगह-जगह चोटें आईं। ड्रायवर बस लेकर भाग गया था।

मौके पर ग्यारसी, सेवकराम तथा और भी लोग आ गये थे, जिन्होंने घटना देखी है। उसे वहां से लोग उठाकर इलाज हेतु अस्पताल लाये थे। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 0/12 पर धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता के तहत देहाती नालसी लेखबद्ध की जाकर थाना चन्देरी आकर बस क्रमांक एम.पी.08 पी.0221 चालक के विरुद्ध थाने के अपराध क्रमांक 254/12 धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान फरियादी की एक्स-रे रिपोर्ट में अस्थिभंग होना पाये जाने से धारा 338 भारतीय दण्ड संहिता बढ़ाई गई तथा बस चालक के रूप में अभियुक्त की पहचान होने शेष आवश्यक संपूर्ण कार्यवाही उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

03. मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त को धारा 279, 338 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध की विशिष्टिया पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा। अभियुक्त का बचाव निर्दोषिता का है, किन्तु अभिलेख पर उसने प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

04. प्रकरण में विचारण के दौरान फरियादी हरिचरण तथा अभियुक्त के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्त को धारा 338 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया गया है। अब प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- (01) क्या अभियुक्त ने दिनांक 19/07/2012 को शाम करीब 07:00 बजे म्यूजियम के पास मुंगावली रोड़ चन्देरी पर बस क्रमांक एम.पी. 08 पी.0221 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

:::: सकारण विनिश्चय ::::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 का निराकरण :-

05. हरिचरण (अ.सा.02) ने अपनी अभिसाक्ष्य में बताया है कि उसके कथन दिनांक से चार-पांच साल पहले वह उसकी रिश्तेदारी में फतेहाबाद

आया था। वह से उसकी मोटरसायकल से शाम के समय फतेहाबाद से उसके घर ग्राम नानौन जा रहा था। रास्ते में मुंगावली रोड़ पर म्युजियम से आगे मोड़ पर सामने से अचानक एक बस आ गई, जिसे वह देख नहीं पाया था और उसकी मोटरसायकल से टक्करा गई थी। टक्कर लगने से वह गिर गया था, जिससे उसे आंख, सिर व शरीर में अन्य चोटें आई थी। वह टक्कर मारने वाली बस के नंबर व बस चालक को नहीं देख पाया था। उसे बाद में भी टक्कर मारने वाली बस के नंबर व चालक की जानकारी नहीं मिली थी। मोड़ होने से वह उसकी मोटरसायकल को धीरे-धीरे चला रहा था और टक्कर मारने वाली बस भी धीरे-धीरे चल रही थी। घटना के समय मौके पर कोई नहीं था। बाद में उसे कोई व्यक्ति उठाकर इलाज करवाने चन्देरी अस्पताल लाया था। पुलिस अस्पताल आई थी और घटना के संबंध में पूछताछ की थी। देहाती नालसी प्र.पी.03 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे इलाज हेतु अशोकनगर रैफर किया था। अशोकनगर में उसका एक्स-रे हुआ था। पुलिस ने उसके बयान लिये थे।

06. फरियादी हरिचरण (अ.सा.02) द्वारा घटना का समर्थन नहीं करने के कारण अभियोजन की ओर से साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे गये, किन्तु सूचक प्रश्न के दौरान भी साक्षी ने उसका एक्सीडेंट बस क्रमांक एम.पी.08 पी.0221 से होने तथा उस बस को चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाये जाने से इंकार किया है। हरिचरण (अ.सा.02) ने देहाती नालसी प्र.पी.03 लिखवाते समय एवं पुलिस को कथन प्र.पी.04 देते समय टक्कर मारने वाली बस क्रमांक एम.पी.08 पी.0221 होने एवं उक्त बस चालक द्वारा बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसे टक्कर मारने के संबंध में लिखाये जाने से इंकार किया है।

07. ग्यारसी (अ.सा.01) ने आरोपी को पहचानने से इंकार करते हुये उसे घटना की जानकारी नहीं होना एवं उसके सामने कोई एक्सीडेंट नहीं होना बताया है। इस साक्षी द्वारा घटना का समर्थन नहीं करने के कारण अभियोजन की ओर से साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे गये, किन्तु सूचक प्रश्न के दौरान भी साक्षी ने इस संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की है कि आरोपी ने एच.एम.टी. बस को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर फरियादी को टक्कर मार दी थी, जिससे फरियादी गिर गया था। साक्षी ने फरियादी को इलाज करवाने ले जाने से एवं

पुलिस को कथन प्र.पी.01 देने से इंकार किया है। साक्षी ने बताया है कि उसके सामने नक्शामौका प्र.पी.02 नहीं बताया था। इस प्रकार इस साक्षी के कथनों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे अभियोजन मामले का समर्थन हो।

08. अभिलेख पर फरियादी हरिचरण (अ.सा.02) ने उसका एक्सीडेंट बस से होना बताया है, किन्तु उसका एक्सीडेंट बस क्रमांक एम.पी.08 पी.0221 से होने एवं उक्त बस को आरोपी द्वारा उपेक्षा या उतावलेपन से चलाये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। साक्षी ग्यारसी (अ.सा.01) ने घटना का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है। उक्त दोनों साक्षीगण ने सूचक प्रश्न के दौरान भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। ऐसी दशा में साक्ष्य के अभाव में यह नहीं माना जा सकता है कि जिस बस से फरियादी का एक्सीडेंट हुआ था, वह बस आरोपी की ही थी और उसे आरोपी ही उपेक्षा या उतावलेपन से चला रहा था। इस प्रकार अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है, उससे यह नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा बस क्रमांक एम.पी.08 पी.0221 को लोकमार्ग पर उपेक्षा या उतावलेपन से चलाया हो और उससे फरियादी का मानव जीवन संकटापन्न कारित हुआ हो।

09. अभिलेख पर आई उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं विश्लेषण के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि सुसंगत घटना दिनांक को लोकमार्ग पर उसने बस क्रमांक एम.पी.08 पी.0221 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर फरियादी का मानव जीवन संकटापन्न कारित किया हो। अतः अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप प्रमाणित नहीं पाया जाता है। परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 279 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया जाकर, इस प्रकरण में स्वतंत्र घोषित किया जाता है।

10. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11. प्रकरण में अभियुक्त द्वारा न्यायिक निरोध में व्यतीत की गई अवधि के संबंध में धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर संलग्न किया जावे।

12. प्रकरण में जप्तशुदा बस क्रमांक एम.पी.08 पी.0221 उसके विधिक स्वामी को सुपुर्दगी पर प्रदान की गई है, अतः उक्त सुपुर्दगीनामा अपीलान्वधि पश्चात्, अपील ना होने की दशा मे भारमुक्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार, निराकरण किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

(पुंजिया बारिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चन्देरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(पुंजिया बारिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चन्देरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)